भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या2674

(दिनांक 07.08.2024 को उत्तर देने के लिए)

डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023

2674. श्री विजय बघेलः

श्री बसवराज बोम्मईः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;

(ख) क्या सरकार ने नई नीति के माध्यम से सरकारी योजना का कोई निश्चित प्रतिशत विज्ञापन हेतु आवंटित किया हैऔर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डिजिटल विज्ञापन प्लेटफार्मों को आमंत्रित करने और चुनने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) भारत सरकार के ग्राहक मंत्रालयों/विभागों द्वारा इंगित मैसेजिंग की प्रकृति, लक्षित आडियंस, बजट की उपलब्धता आदि के आधार पर डिजिटल मीडिया सहित अनेक मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से विभिन्न सरकारी स्कीमों, कार्यक्रमों और पहलों के लिए जागरुकता और प्रचार अभियान चलाता है।

सीबीसी ने दिनांक 9 नवंबर, 2023 को डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 को अधिसूचित किया है। यह नीति इम्पैनेलमेंट प्रक्रिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों यथा ओटीटी, पॉडकॉस्ट, इंटरनेट वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन आदि के चयन और ऐसे प्लेटफॉर्मों पर जागरुकता/प्रचार अभियानों को जारी करने संबंधी मानदंड निर्धारित करतीहै।

*****